न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

/भू.अ./2022/ 1461 दिनांक 05/07/2022

प्रार्थी :-
1.देराजराम पुत्र गंगाराम
जाति जाट, निवासी बावड़ीकला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1. केसराराम पुत्र गंगाराम 2.अखाराम पुत्र पन्नाराम, जाति जाट, निवासी बावड़ीकला
तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 13/2019 दिनांक : **05.07.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ीकल्ला के मौजा बावड़ीकल्ला के खेत खसरा सं. 1034/433 रकबा 70.00 बीघा एवं खसरा सं. 1036/433 रकबा 02.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(Stamp: उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन; उपखण्ड अधिकारी चौहटन)

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1462 to 1465 दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी देराजराम
3. विप्रार्थीगण केसराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:27:50 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(Stamp: उपखण्ड अधिकारी चौहटन)